सं०सं०–2/एम०–61/2020–

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

शैलेश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा: वित्त विभाग।

पटना, दिनांक / /2021

विषय: राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से नव उत्तीर्ण एम०बी०बी०एस० अभ्यर्थियों को अनिवार्यतः ग्रामीण क्षेत्र में संविदा पर नियोजन हेतु चिकित्सक के 2580 फ्लोटिंग पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

बिहार राज्य में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों की काफी कमी है। राज्य के कुल आबादी लगभग 12 (बारह) करोड़ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार प्रति 1000 की जनसंख्या पर 01 (एक) चिकित्सक होना चाहिए। इसके विरुद्ध जहाँ देश का औसत 1:1456 है, वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (NHP)–2018 के अनुसार बिहार राज्य में 28,391 की जनसंख्या पर मात्र एक चिकित्सक उपलब्ध है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं राष्ट्रीय मानक से काफी कम है।

2. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को दूर करना और राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लागों को समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

3. राज्य में वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान सहित कुल 10 चिकित्सा महाविद्यालय है, जिनमें एम०बी०बी०एस० में नामांकन हेतु कुल 1290 सीट स्वीकृत हैं। एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम के उपरांत चिकित्सकों की प्राथमिकता स्नातकोत्तर में नामांकन की होती है, परन्तु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कम सीट होने के कारण इनमें से आधे से अधिक चिकित्सक स्नातकोत्तर में नामांकन में विफल रहते हैं। ऐसे में इन नव उत्तीर्ण चिकित्सकों को राज्य के दूर-दराज एवं अनिवार्यतः ग्रामीण क्षेत्रों (वैसे क्षेत्र जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित

किये जायेंगे) में नियोजित करने से इन क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे चिकित्सक द्वारा सेवा देने से आगामी वर्ष में इनके स्नातकोत्तर में नामांकन हेतु इन्हें weightage का लाभ मिल सकेगा, जो इनके स्नातकोत्तर के नामांकन में सहायक भी होगा। इसके पश्चात् जो चिकित्सक शेष रह जायेंगे, वे नियमित नियुक्ति के माध्यम से सरकारी सेवा में आ सकते हैं।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य अन्तर्गत सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से नव उत्तीर्ण एम०बी०बी०एस० चिकित्सकों को अनिवार्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्ष की अवधि के संविदा पर नियोजन हेतु 2580 फ्लोटिंग पद के सृजन की आवश्यकता है। ये सृजित 2580 पद दो वर्ष के लिए 1290-1290 की संख्या में विभक्त होंगे। एक वर्ष में मात्र 1290 पदों पर अगले दो वर्षों के लिए संविदा पर नियोजन किया जाएगा। एक वर्ष में 1290 पदों में से जो पद रिक्त रह जायेंगे वे अगले वर्ष अग्रणित नहीं किये जायेंगे। इस प्रकार तीसरे वर्ष में पहले वर्ष के 1290 पद रिक्त हो जायेंगे जिसपर उपरोक्तानुसार नियोजन किया जाएगा। यह क्रम वर्ष वार जारी रहेगा।

5. सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों के सृजित होने वाले 2580 पदों में राज्य सरकार का आदर्श रोस्टर प्रभावी होगा। रोस्टर गठन सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जाएगा।

6. सृजन हेतु उक्त प्रस्तावित पदों पर नियोजित सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा/मानदेय के आधार पर अन्य नियोजित सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों के समतुल्य मानदेय अनुमान्य होगा। वर्तमान में यह दर 65000/- रुपये प्रतिमाह है।

7. उक्त आधार पर इन सृजित होने वाले 2580 फ्लोटिंग पदों के विरुद्ध प्रथम वर्ष में अधिकतम 1290 पदों पर संविदा नियोजन के लिए वार्षिक व्यय भार, कुल 100.62 करोड़ रुपये एवं दूसरे वर्ष से यह व्यय भार लगभग 201.24 करोड़ रुपये आने की संभावना है।

8. उक्त राशि का वहन संबंधित चिकित्सा संस्थान के कार्यालय के सुसंगत बजट शीर्ष 28-02, "संविदा सेवाएँ" मद से किया जाएगा।

9. अतएव राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से नव उत्तीर्ण एम०बी०बी०एस० अभ्यर्थियों को अनिवार्यत: ग्रामीण क्षेत्र में संविदा पर नियोजन हेतु चिकित्सक के 2580 फ्लोटिंग पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10. उपर्युक्त पद सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा/स्वीकृति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-11.05.2021 के मद सं०-04 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

12. संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(शैलेश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एम०-61/2020- 608(2) **पटना, दिनांक** 24/05 **/2021**

प्रतिलिपि: मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-11.05.2021 में मद संख्या-04 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी (प्रशाखा-10), स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-10, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/05/21

सरकार के उप सचिव।

Desk-02>Dhan>Draft>letter>Vikash>21